

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—:आदेश:-

क्रमांक 690 / दो-16-7 / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 08.07.2026

सुश्री निशा रघुवंशी, प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन पिपरिया का दिनांक 08.07.2026 से 11.07.2026 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश, पश्चात्पूर्वी सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित दिनांक 08.07.2026 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 13.07.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् न्यायिक अधिकारी के अर्जित अवकाश लेखे में 41 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- 2- अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी)(दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।
- 3- अवकाश अवधि में वेतनभत्ते उसी दर से देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व मिलते थे।
- 4- आवेदक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन पिपरिया के पद पर पदस्थ रहतीं।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ. क्र. 3066 / दो-16-7 / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 08.07.2026

आदेशानुसार प्रतिलिपि:-

01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सुश्री निशा रघुवंशी, प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)